उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–9
संख्या–881 /पांच–9–2018–9(37)/2017
लखनऊ : दिनांक 08 जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश में घटते हुए बाल लिंगानुपात की रोकथाम हेतु "डिक्वॉय आपरेशन" संचालित करने हेतु "मुखबिर योजना" लागू किये जाने से सम्बन्धित निर्गत शासनादेश संख्या–37/2017/383/पांच–9–2017, दिनांक 23.06.2017 के प्रस्तर–6(1) के अनुसार योजना का कियान्वयन व अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकरण पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम–1994 उ0प्र0 की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय डिक्वॉय समिति के गठन हेतु महानिदेशक, परिवार कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुक्रम में राज्य स्तरीय डिक्वॉय समिति का निम्नवत गठन किया जाता है :–

(1)	अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकरण, (पी0सी0पी0एन0डी0 अधिनियम, 1994) /महानिदेशक, परिवार कल्याण,उ0प्र0।	–	अध्यक्ष
(2)	निदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0।	–	सदस्य
(3)	संयुक्त निदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0।	–	सदस्य सचिव
(4)	महाप्रबन्धक (पी0सी0पी0एन0डी0टी0), एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0।	–	सदस्य
(5)	राज्य समुचित प्राधिकरण, (पी0सी0पी0एन0डी0 अधिनियम, 1994) उ0प्र0 में शासन द्वारा नियुक्त महिला संगठन की प्रतिनिधि।	–	सदस्य

2– प्रश्नगत प्रकरण में उपरिसंदर्भित शासनादेश दिनांक 23.06.2017 में निहित नियम एवं शर्तें यथावत लागू रहेगी। उपरोक्तानुसार गठित राज्य स्तरीय डिक्वॉय समिति के कमांक–5 पर उल्लिखित महिला संगठन की प्रतिनिधि का आदेश पृथक से निर्गत किया जायेगा।

(प्रशान्त त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव।

संख्या— 881 (1)/पांच—9—2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक—प0क0/10—जे0डी0/675/2017/443, दिनांक 06.11.2017 के सन्दर्भ में।

2— मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।

3— महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उ0प्र0 लखनऊ।

4— समस्त जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी उ0प्र0।

5— समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0।

6— समिति के समस्त पदाधिकारीगण।

7— कम्प्यूटर सेल प्रभारी चिकित्सा शाखा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यालय ज्ञाप को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने का कष्ट करें।

8— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द प्रधान)
संयुक्त सचिव।